Government of Rajasthan
National Health Mission, Rajasthan
Department of Medical, Health & FW, Swasthya Bhawan, Jaipur
Tel. No. 0141-2221590, Email ID: md-nrhm-rj@nic.in

U.O. Note

Subject: Implementation of ABDM Compliant Software for all Empanelled Laboratories under PCPNDT
Ref: F.32(210)/NHM/CSR/NDHM(ABDM)-01779-Part File(4)/588 dated 12.02.2026

With reference to the above cited subject and reference office order by Principal Health Secretary, MHFW and ME, it was directed to ensure implementation of ABDM compliant digital health ecosystem across the state. it is directed that all laboratories empanelled under the PCPNDT program may kindly be directed to adopt and use **ABDM compliant Laboratory Management Information Software (LMIS) and HMIS in the attached hospitals** before 31 March 2026.

The integration of empanelled laboratories and attached hospitals with ABDM compliant systems will enable seamless digital health record creation, ABHA-based patient identification, and secure exchange of diagnostic data through the national digital health ecosystem. This initiative will significantly enhance transparency, efficiency, and interoperability of health records across the state.

In this regard, it is directed that necessary instructions may kindly be issued to all empanelled laboratories under PCPNDT to implement **ABDM compliant software, ensure integration with ABDM registries (ABHA, HPR, and HFR) and provide benefit of incentive scheme** at the earliest.

(Encl- As above)

(Dr. Amit Yadav)
MD-NHM & JS-MHFW

Project Director – PCPNDT, DMHFW

F.32(210)/NHM/CSR/NDHM/(ABDM)-01779-Part File(4)/674 Date:- 11/03/2026

Copy for information and necessary actions to:

1. PS to Principal Secretary, MH&FW & ME
2. PA to MD-NHM & SMD-ABDM
3. PA to Addl. Mission Director, NHM
4. PA to OSD, NHM
5. PA to Director PH, DMHS
6. SNO-IT/ ACP(DD)-NHM
7. Coordinator, ABDM-West (NHA)
8. Upload on the website
9. Guard File

(Vishnu Kant Jalendra)
SNO-IT/ ACP (DD)-NHM

Signature valid
Digitally signed by Amit Yadav
Designation: Mission Director
Date: 2026.03.10 17:41:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20921154

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

No. F.32(210)/NHM/CSR/NDHM(ABDM)-01779-Part File(4)/ 588 **Date** 12/02/2026

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी,
जयपुर।

विषय– मां–योजना तथा आजीएचएस के अन्तर्गत सभी चिकित्सा संस्थानों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की पालना बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के अन्तर्गत राज्य में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने एवं डिजिटाईजेशन को बढावा देने हेतु यह सुनिश्चित किया जावे कि नागरिक अपने आभा आधारित हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली पीएचआर ऐप के माध्यम से अपने मोबाईल फोन पर प्राप्त कर सके। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के अंतर्गत मां–योजना तथा आजीएचएस से एम्पेनल्ड समस्त निजी चिकित्सालयों, प्रयोगशालाओं तथा फार्मेसी स्टोर्स की HF-ID एवं वहां कार्यरत चिकित्साकर्मियों (चिकित्सक, नर्स एवं फार्मासिस्ट) की HP-ID बनाया जाना और साथ ही आभा आधारित सॉफ्टवेयर (एचएमआईएस/लिम्स/फार्मेसी) का प्रयोग भी करवाया जाना सुनिश्चित करावें, जो कि अत्यन्त आवश्यक है, जिसके लिये पूर्व मे भी निर्देश दिये जा चुके है।

आभा आधारित एचएमआईएस/लिम्स/फार्मेसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने पर चिकित्सा संस्थानों को ABDM डिजिटल हेल्थ इंसेन्टिव स्कीम में पंजीकृत किया जाये, ताकि इन संस्थानों को आभा आधारित इलेक्ट्रोनिक हेल्थ/दवा रिकॉर्ड बनाने पर इंसेन्टिव मिल सके।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि **31 मार्च, 2026** तक सभी चिकित्सा संस्थानों पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की पालना सुनिश्चित करे। उक्त समयावधि के भीतर यदि किसी चिकित्सा संस्थान द्वारा उक्त कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

(गायत्री राठौड़)
प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
राजस्थान

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि. स्वा. एवं प. क. तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
2. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एनएचएम
3. निजी सहायक, जिला कलेक्टर, समस्त जिले
4. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम
5. निजी सहायक, सहायक कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
6. निजी सहायक, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा
7. निजी सहायक, निदेशक जन स्वास्थ्य, चि.स्वा. एवं प.क. विभाग
8. निजी सहायक, विशेषाधिकारी, एनएचएम
9. निजी सहायक, विशेषाधिकारी, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
10. निजी सहायक, परियोजना निदेशक– आरजीएचएस
11. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा प्रशासन
12. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
13. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, समस्त संभाग, राजस्थान
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले, राजस्थान
15. राज्य नोडल अधिकारी–आईटी एवं एसीपी (उपनिदेशक), एनएचएम
16. एसीपी (उपनिदेशक), मा–योजना तथा आरजीएचएस।
17. जिला कार्यक्रम समन्वयक / डीपीसी, मा–योजना तथा आरजीएचएस
18. उप निदेशक, समन्वय, ABDM, राजस्थान
19. DPM & DM&EO, NHM समस्त जिले, राजस्थान
20. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, (NHA) समन्वयक
21. ABDM PMU, राजस्थान
22. वेबसाईट पर अपलोड करनें हेतु

(डॉ. अमित यादव)
मिशन निदेशक, एनएचएम